फर्द अहकाम

मंगली बनाम शंकर

नाम न्यायालय

केस संख्या 35/48/2002

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि[illegible]
	12/8/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर टौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 31/8/21 को पेश हो। [signature]	
	31/8/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर टौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7/9/21 को पेश हो। [signature]	
	7/9/21	प्रसाइडिंग ऑफीसर टौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 13/9/21 को पेश हो। [signature]	
	9/9/2021	वादी मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर वाद विड्रा करवाने का प्रा॰प॰ पेश किया जाने पर पत्रावली आज तलब की गयी। वादी ने अपना प्रा॰पत्र वाद विड्रा का पेश कर निवेदन किया की दोनो पक्षों मे आपस मे राजीनामा हो गया है तथा अब आगे वाद चलाना नहीं चाहते है। वादी के विड्रा वाद पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन कीया गया। वादी के विड्रा प्रा॰पत्र का अवलोकन किया गया एवं प्रा॰प॰ विड्रा पर मनन किया गया। वादी को [illegible] विड्रा करने करने की अनुमती दी जाती है [illegible] का वाद विड्रा किया जाता [illegible] है। पत्रावली दर्ज नम्बर से [illegible] दफ्तर हो। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता ने की। [signature] सहायक [illegible] चौमू (जयपुर)	नि॰ [illegible] भगवान सहाय [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.02.08 16:17:25 IST
Reason: SelfAttested